

# योजना बनाना

1

2

3

3 पुस्तिकाओं में से  
पुस्तिका संख्या 2

पुस्तिका

2

इस पुस्तिका में शामिल है:

- आपको वर्तमान में प्राप्त समर्थनों के बारे में समझना
- अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए NDIS योजना का निर्माण करना
- एक अनुमोदित NDIS योजना प्राप्त करना

# इस पुस्तिका का प्रयोग कैसे करें

यह पुस्तिका वह स्थान है जहाँ आप अपनी नई नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस स्कीम (राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना - NDIS) की योजना बना सकते/सकती हैं। यह आपकी सबसे पहली NDIS योजना हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी NDIS योजनाएँ रह चुकी हों।

अपनी नियोजन मुलाकात की तैयारी करने के लिए अपनी तात्कालिक समर्थन ज़रूरतों और अपने वर्तमान और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में विचार करना शुरू करें। यह नियोजन पुस्तिका आपको ऐसा करने की तैयारी करने में मदद देगी।

**NDIS के प्रमुख शब्द:** NDIS के बारे में बातचीत करने में हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं, इसलिए हम साथ-साथ उनको समझाते भी हैं।

इस पुस्तिका में टिप्पणियों या सवालों के उदाहरण **लाल रंग के टेक्स्ट** में दिखाए गए हैं।

यह इस श्रृंखला की दूसरी सहभागिता पुस्तिका है। इस पुस्तिका को पुस्तिका संख्या 1 व 3 के साथ संयोजन में प्रयोग करें।

## पुस्तिका 1: NDIS को समझना

पुस्तिका 1 में शामिल है:

- NDIS के बारे में सीखना
- NDIS के लिए आवेदन करने का निर्णय लेना
- NDIS की सुविधा प्राप्त करना

## पुस्तिका 2: योजना बनाना

पुस्तिका 2 में:

आपको वर्तमान में प्राप्त समर्थनों के बारे में समझना और अपनी नियोजन मुलाकात की तैयारी करना

- अपनी मुलाकात की तैयारी करने के लिए इस बारे में विचार करें कि आपको वर्तमान में कौन से समर्थन प्राप्त हैं, इन समर्थनों को कौन प्रदान करता है, और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको कौन से समर्थनों और सेवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है।
- इस पुस्तिका को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से पूरा करें और अपनी नियोजन मुलाकात में इसे अपने साथ लाएँ। ऐसी प्रासंगिक रिपोर्टें या आकलनों के बारे में भी सोचें जिन्हें आपको अपने साथ लाने की ज़रूरत हो सकती है।

अपनी योजना बनाने के लिए नियोजन मुलाकात में भाग लेना

- इस बारे में सीखें कि आपकी नियोजन मुलाकात में क्या होगा, आप किसके साथ मुलाकात करेंगे/करेंगी और आप अपने साथ किसे ला सकते/सकती हैं।

अपनी अनुमोदित NDIS योजना प्राप्त करना

- इस बारे में सीखें कि आपको अपनी NDIS योजना कैसे प्राप्त होगी, और आगे क्या करना है।

## पुस्तिका 3: अपनी NDIS योजना का प्रयोग करना

पुस्तिका 3 में शामिल है:

- यह समझना कि आपकी योजना में क्या शामिल है
- अपनी योजना का प्रयोग करने के बारे में सीखना
- समर्थनों और सेवाओं का चयन करना और उनका प्रबंध करना
- अपनी योजना और प्रगति की समीक्षा करना

आपको अपनी NDIS यात्रा के दौरान अपने लिए ज़रूरी पुस्तिकाएँ मिलेंगी, या आप इन्हें NDIS की वेबसाइट [www.ndis.gov.au](http://www.ndis.gov.au) से प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

# आपको वर्तमान में प्राप्त होने वाले समर्थनों को समझना

यह अनुभाग आपके, आपकी विकलांगता और आपको प्राप्त होने वाले वर्तमान समर्थनों व सेवाओं के बारे में सामान्य जानकारी एकत्र करने के लिए है। आप इस अनुभाग का प्रयोग अपने ECEI समन्वयक, LAC या नेशनल डिसेबिलिटी इश्योरेंस एजेंसी (राष्ट्रीय विकलांगता बीमा संस्था - NDIA) नियोजक से मुलाकात करते समय अपने और अपने जीवन से सम्बन्धित बात-चीत शुरू करने के लिए कर सकते/सकती हैं।

## आपके व्यक्तिगत विवरण

नाम:

NDIS सँख्या (यह आपके एक्सेस पत्र में दी गई है):

आयु:

आप किस समस्या, विकलांगता/विकलांगताओं या विकासात्मक विलंब से ग्रस्त हैं? उदाहरण: मैं सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त हूँ (प्रमस्तिष्क पक्षाघात)

यह आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है?

उदाहरण: मैं अधिकांशतः आत्म-निर्भर हूँ। मैं इधर-उधर आने-जाने के लिए व्हीलचेयर का प्रयोग करता/करती हूँ। मुझे काम पर जाने के लिए तैयार होने, खाना बनाने और घर व बगीचे का रख-रखाव करने में थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ती है।

## आपके वर्तमान समर्थन संपर्क

**आपके जीवन में महत्वपूर्ण लोग:** ये लोग आपके जीवन से सम्बन्धित वे लोग हैं जो किसी विकलांगता सेवा-प्रदाता के लिए काम नहीं करते हैं। ये लोग आपके मित्र, परिजन, घर में रहने वाले लोग, पड़ोसी, आपका कार्य-निरीक्षक या आपके सहकर्मी, पक्ष-समर्थक या आपकी देखरेख, सहायता तथा समर्थन करने वाले अन्य लोग हो सकते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी आप सहायता करते/करती हैं, जैसे आपके बच्चे या माता-पिता।

नाम	आपसे रिश्ता	वे आपके जीवन में कैसे शामिल हैं, इसके बारे में बताएँ
उदाहरण: विटो	विश्वविद्यालय में विकलांगता संपर्क अधिकारी	लेक्चर और परीक्षाओं के लिए विशेष प्रबंध करने में मेरी मदद करते हैं।

**आपके बारे में:** हमें वे बातें बताएँ जो आपके अनुसार हमें आपके बारे में पता होनी चाहिए। आपके लिए कौन से लोग या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? आप कहाँ रहते/रहती हैं? आप किसके साथ रहते/रहती हैं?

**उदाहरण:** मैं अपने माता-पिता के घर में अपनी प्रेमिका के साथ रहता हूँ। मैं वास्तव में अपने परिवार के बहुत करीब हूँ, और मेरे मित्रों का एक छोटा सा ग्रुप है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ।

**दैनिक जीवन:** आप हर रोज़ क्या करते/करती हैं? आपकी अभिरुचियाँ क्या हैं? क्या आप नौकरी करते/करती हैं?

**उदाहरण:** मैं सप्ताह में तीन बार सामुदायिक केन्द्र में जाता हूँ। मैं नौकरी नहीं करता हूँ, परन्तु मैं स्थानीय उच्च विद्यालय में एक स्वयंसेवक के रूप में खेलकूद सामग्री को व्यवस्थित रखने का काम करता हूँ। मैं एक दिन फुल-टाइम नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ।

**उदाहरण:** मैं सप्ताहों में अपने दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ।

## आपका समुदाय और अन्य सरकारी सेवाएँ

सभी ऑस्ट्रेलियावासियों को सरकारी सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है।

ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और स्थानीय सरकारें सभी ऑस्ट्रेलियावासियों के लिए शिक्षा, रोज़गार समर्थन, स्वास्थ्य एवं परिवहन जैसी सेवाओं को निधीकृत करती हैं। NDIS किन सेवाओं के लिए धनराशि देती है, और सरकारों के अन्य भाग किन सेवाओं के लिए धनराशि देते हैं - इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए **पुस्तिका 1 – NDIS को समझना** देखें।

यह अनुभाग आपके ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक को यह समझने में सहायता देगा कि आपको सरकार के अन्य भागों से क्या समर्थन मिलता है और आप किन समुदाय-आधारित गतिविधियों में शामिल हैं, और आपको भविष्य में किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है।

**समुदाय:** क्या आप आप वर्तमान में किसी खेल क्लब, सामुदायिक समूहों या अन्य संस्थाओं में शामिल हैं? आप अपने समुदाय में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में कितनी बार भाग लेते/लेती हैं?

**उदाहरण:** मैं अधिकाँशतः सप्ताहों में या समारोहों के लिए अपने बेटे के क्रिकेट क्लब में स्वयंसेवक का काम करता हूँ। मैं स्थानीय पुस्तकालय का सदस्य हूँ, और कभी-कभी बच्चों के साथ समारोहों में भाग लेता हूँ।

**उदाहरण:** मैं अपनी पत्नी के साथ सप्ताह में कुछेक बार चर्च जाता हूँ।

**अन्य सरकारी सेवाएँ:** क्या आप कोई अन्य सरकारी समर्थन या सेवाएँ प्राप्त करते/करती हैं? इनमें शिक्षा (उदाहरण: स्कूल, विश्वविद्यालय, TAFE), परिवहन एवं स्वास्थ्य (जैसेकि आप किस GP के पास नियमित रूप से जाते/जाती हैं, या अन्य स्वास्थ्य व्यवसायिक)। यदि कोई है, तो आप उसके पास कितनी बार जाते/जाती हैं?

**उदाहरण:** काम पर जाने के लिए मैं सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करता हूँ।

**उदाहरण:** पिछले 10 वर्षों से मेरा एक ही GP है, और उसने मुझे एक मानसिक स्वास्थ्य उपचार योजना दी ताकि मुझे अपने व्यग्रता-विकार के लिए मदद मिल सके। अगर कभी-कभी मैं तुरंत ही किसी से बात करना चाहता हूँ, तो मैं Mensline फोन नम्बर पर कॉल करता हूँ।

## आपके सप्ताह में आम-तौर पर क्या-क्या शामिल होता है?

**साप्ताहिक समर्थन:** आपके लिए ज़रूरी दिन-प्रतिदिन के कार्य करने में आपकी मदद के लिए आप किन सामुदायिक और अन्य सरकारी समर्थनों का प्रयोग करते/करती हैं?

दिन	मैं क्या करता/करती हूँ	ये कार्य करने में मुझे निम्नलिखित लोगों से समर्थन मिलता है
उदाहरण: सोमवार	मेरा बेटा शिशु-देखभाल केंद्र में जाता है। प्रत्येक सोमवार मनोवैज्ञानिक के साथ मेरा एपॉइंटमेंट होता है।	यदि वह परेशान या हताश हो जाता है, तो उसकी शिशु-देखभाल टीम के पास इस स्थिति के लिए कार्यनीतियाँ उपलब्ध रहती हैं। मुझे अपने GP से रेफरल मिला।
सोमवार		
मंगलवार		
बुधवार		
गुरुवार		
शुक्रवार		
शनिवार		
रविवार		

**कभी-कभार आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ:** आप हरेक पखवाड़े में, महीने में या समय-समय पर क्या गतिविधियाँ करते/करती हैं?

**उदाहरण:** मैं हरेक पखवाड़े अपनी बहन के साथ स्विमिंग पूल जाता हूँ, गुरुवार को सामाजिक समूह में जाता हूँ, और सप्ताहों में अपने अंकल के साथ फुटबॉल देखने के लिए जाता हूँ।

**वे कार्य जो ठीक से चल रहे हैं:** आपको वर्तमान में अपने जीवन में क्या कार्य करने में आनन्द आता है?

**उदाहरण:** बस हाल ही में हमारे परिवार ने एक कुत्ते के बच्चे को अपनाया है, मुझे उसका ध्यान रखने में बहुत मज़ा आता है। मैं उसे खिलाने-पिलाने, नहाने-धुलाने और उसके साथ खेलने की जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। मेरे पास पहले कभी भी कोई पालतू जानवर नहीं था, इसलिए मैं उसका ध्यान रखना सीख रहा हूँ।

**बदलाव:** क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बदलना चाहेंगे/चाहेंगी? क्या आप कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते/चाहती हैं?

**उदाहरण:** मैं रिसेप्शन सेंटर में सप्ताह में दो दिन काम करता हूँ। सच कहूँ तो मैं कैफ़े में काम पाना चाहता हूँ, जहाँ मैं नए लोगों से मिल सकूँ। मैं अपनी आयु के अन्य लोगों के साथ शेयर हाउस में रहना भी पसंद करूँगा।



# अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए एक NDIS योजना बनाना

अपनी नियोजन मुलाकात के दौरान आप अपनी NDIS योजना के एक हिस्से के तौर पर उन लक्ष्यों की चर्चा करेंगे/करेंगी जिन्हें आप हासिल करना चाहते/चाहती हैं। सामान्य रूप से आपकी पहली योजना 12 महीनों तक चलेगी। आपकी पहली योजना के बाद यदि आपकी ज़रूरतों में परिवर्तन होने की संभावना कम हो, तो आपको लंबी अवधि के लिए एक योजना भी प्रस्तुत की जा सकती है।

## लक्ष्य निर्धारित करना

**लक्ष्य** NDIS के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इस अनुभाग में आप अपनी NDIS योजना के लिए लक्ष्यों की खोज करना शुरू करेंगे/करेंगी। आप अपने ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक के साथ इनके बारे में चर्चा करेंगे/करेंगी, जो आपसे पूछेंगे कि आप क्या हासिल करना चाहते/चाहती हैं और क्या आपके कोई अल्पावधि के लक्ष्य हैं या आपके वर्तमान जीवन में कोई अधूरी ज़रूरतें हैं जिनपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

आपके मध्यम से दीर्घावधि के लक्ष्य अल्पावधि के लक्ष्यों में विभाजित किए जा सकते हैं, जोकि आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर उठाए जाने वाले 'छोटे-छोटे कदम' होंगे।

## अल्पावधि के लक्ष्य

ये लक्ष्य आम-तौर पर 12 महीनों से कम की अवधि में हासिल किए जा सकते हैं। इस बारे में सोचें कि आप क्या हासिल करना चाहते/चाहती हैं, आप इसे क्यों हासिल करना चाहते/चाहती हैं और आप इसे कब तक हासिल करना चाहते/चाहती हैं।

इस NDIS योजना के लिए आपके अल्पावधि के लक्ष्य क्या हैं?

## NDIS के प्रमुख शब्द: लक्ष्य

लक्ष्य वे कार्य होते हैं जिन्हें आप NDIS और अन्य समर्थनों एवं सेवाओं की सहायता से हासिल करना चाहते/चाहती हैं। आपके लक्ष्यों में और अधिक आत्म-निर्भर बनना, नौकरी प्राप्त करना, नई योग्यताएँ सीखना, पढ़ाई के लिए नामांकन कराना, अपने समुदाय में और अधिक सक्रिय होना, या अपने रिश्तों में सुधार करना और मित्र बनाना शामिल हो सकता है। आपको अपने लक्ष्यों को अधिक से अधिक विशिष्ट बनाना चाहिए।

**उदाहरण: लक्ष्य 1:** इस वर्ष मैं अपने आप से सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना सीखना चाहता हूँ ताकि मैं पुस्तकालय जा सकूँ, एक कोर्स शुरू कर सकूँ या अपने मित्रों के साथ घूमने-फिरने जा सकूँ और अपनी माँ पर निर्भर न रहूँ।

**उदाहरण: लक्ष्य 2:** मैं किसी समर्थन-कर्मि की मदद के बिना स्वयं नहाने में समर्थ बनना चाहता हूँ।

## मध्यम से दीर्घावधि के लक्ष्य

आप मध्यम से दीर्घावधि में क्या हासिल करना चाहते/चाहती हैं? इन लक्ष्यों को हासिल करने में कई वर्षों का समय लग सकता है, परन्तु इन्हें हासिल करने के लिए इनकी ओर उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करना महत्वपूर्ण है।

**उदाहरण लक्ष्य 1: अगले कुछ वर्षों में मैं घर छोड़कर कहीं और रहना शुरू करना चाहता हूँ, शायद किसी मित्र के साथ।**

**उदाहरण लक्ष्य 2: मैं नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बिलों का भुगतान खुद कर सकूँ।**

## myplace पोर्टल को एक्सेस करने के लिए तैयार होना

आपकी NDIS योजना को अनुमोदन दिए जाने के बाद आप इसे NDIS **myplace** पोर्टल पर ऑनलाइन देखने में सक्षम हो पाएँगे/पाएँगी। इसके लिए आपके पास एक myGov एकाउंट होना ज़रूरी है।

अपना myGov एकाउंट खोलने के लिए [www.my.gov.au](http://www.my.gov.au) वेबसाइट पर जाएँ।

यदि आपको कोई समस्या हो रही हो, आपको अपना myGov एकाउंट खोलने में मदद की ज़रूरत हो या आप NDIS myplace पोर्टल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते/चाहती हों, तो अपने ECEI समन्वयक, LAC या NDIA से संपर्क करें।

आप myGov हेल्पडेस्क को **13 23 07** पर फोन भी कर सकते/सकती हैं।

### NDIS के प्रमुख शब्द:

#### myplace

myplace प्रतिभागियों या उनके द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित वेबसाइट है, जिससे कि वे अपनी NDIS योजना देख सकें, भुगतानों के लिए निवेदन कर सकें और प्रदाताओं के साथ सेवाओं का प्रबंध कर सकें।



## अपनी फंडिंग (धन-राशि) का प्रबंध करना

आपकी NDIS योजना में एक या एक से अधिक बजट श्रेणियों में धन-राशि उपलब्ध होगी, ताकि आप समर्थनों एवं सेवाओं के लिए भुगतान कर सकें। आप यह निर्णय ले सकते/सकती हैं कि आप कौन सी सेवाएँ प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं, इन सेवाओं को कौन प्रदान करेगा और इन्हें कब प्रदान किया जा सकता है।

आपका ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक आपसे यह पूछेगा कि आप अपनी NDIS धन-राशि का प्रबंध कैसे करना चाहते/चाहती हैं और वह आपकी ज़रूरतों व परिस्थितियों के लिए आपकी धन-राशि का प्रबंध करने के सबसे अच्छे तरीके का चयन करने में आपकी मदद करेगा।

आपकी NDIS धन-राशि का प्रबंध करने के लिए तीन विकल्प उपलब्ध हैं – स्व-प्रबंधित, योजना-प्रबंधित और NDIA-प्रबंधित। आप एक से अधिक विकल्पों के संयोजन का प्रयोग भी कर सकते/सकती हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि शुरुआत में आप अपनी योजना के एक हिस्से को स्व-प्रबंधित करने का निर्णय लें और शेष हिस्से का प्रबंधन NDIA को करने दें।

### स्व-प्रबंधित

अपनी धन-राशि को स्व-प्रबंधित करने से आपको अपने समर्थन का प्रबंध करने में अधिकतम स्वतंत्रता और लचीलापन मिलता है। अपनी NDIS धन-राशि पर आपका नियंत्रण होता है, और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है।

यदि आप अपनी धन-राशि को स्व-प्रबंधित करते/करती हैं, तो आपने जिन लक्ष्यों की पहचान अपनी योजना में की है, उन्हें हासिल करने के लिए आप अपने बजट के अंदर सर्वश्रेष्ठ तरीके से सहायता देने वाले समर्थनों को खरीदने के लिए जिम्मेदार होते/होती हैं।

**यदि आप स्व-प्रबंधित करते/करती हैं, तो आप:**

- इस बात का निर्णय लेने में नए और लचीले तरीके से सोच सकते/सकती हैं कि आपकी योजना में समर्थन कौन प्रदान करता है – वह कोई **NDIS पंजीकृत प्रदाता** या गैर-पंजीकृत प्रदाता हो सकता है।
- अपने खुद के कर्मचारी नियुक्त कर सकते/सकती हैं या अपनी ओर से उन्हें नियुक्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान कर सकते/सकती हैं। (अधिकांश मामलों में आपको समर्थन देने के लिए परिवार के सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है)।
- अपनी सेवाओं का प्रबंध करने से होने वाली किसी बचत का प्रयोग करके और अधिक समर्थन खरीद सकते/सकती हैं, बशर्ते कि यह आपकी योजना में सहमत तरीके के अनुरूप हो।

जो लोग अपने फंड्स (धन-राशि) का प्रबंध अपने आप करते हैं, उनके लिए अतिरिक्त आवश्यकताएँ और जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसमें प्रदाता इनवॉयस का रिकॉर्ड रखना, एक्टिव और भुगतान करना शामिल है। NDIS की वेबसाइट पर उपलब्ध **स्व-प्रबंधन के लिए NDIS की संदर्शिका** में इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें।

### योजना-प्रबंधित

यदि आप एक योजना प्रबंधक का प्रयोग करने का निर्णय लेते/लेती हैं, तो वे आपके द्वारा खरीदे जाने वाले समर्थनों के लिए आपके प्रदाताओं को भुगतान करेंगे, आपके फंड्स पर नज़र रखने में आपकी मदद करेंगे और आपके लिए ज़रूरी वित्तीय रिपोर्टिंग के काम करेंगे। आप ये सभी काम स्व-प्रबंधित रूप से भी कर सकते/सकती हैं, परंतु योजना प्रबंधक आपके लिए बिलों का भुगतान करेगा। आपकी परिस्थितियों के आधार पर योजना प्रबंधक आपके लिए प्रदाताओं का चयन करने में भी आपकी मदद कर सकता है। योजना प्रबंधक को आपकी योजना में निधीकृत किया जाता है।

यह ज़रूरी है कि आपका योजना प्रबंधक एक NDIS पंजीकृत प्रदाता हो और वह आपकी ओर से आपके प्रदाताओं को भुगतान करने के लिए आपकी योजना में बजट से सीधे दावे करेगा।

“

“शुरू से ही हम स्व-प्रबंधित करते आए हैं और इससे हमें फ्रैंक को मिलने वाले समर्थनों का पूरा नियंत्रण मिलता है। समन्वय और प्रबंध करने के लिए और अधिक काम करना पड़ता है, परन्तु हमें यह पता रहता है कि हरेक डॉलर कहाँ खर्च हो रहा है और हम फ्रैंक की ज़रूरतों और समर्थनों से संबंधित सभी निर्णय लेते हैं।”

मेगन, फ्रैंक की माँ



### NDIS के प्रमुख शब्द:

#### NDIS पंजीकृत प्रदाता

जो प्रदाता पंजीकृत होते हैं, उन्हें NDIS पंजीकृत प्रदाता कहा जाता है और वे सरकारी गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। संस्थाएँ या व्यक्ति पंजीकृत प्रदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप NDIS की वेबसाइट या myplace पोर्टल पर पंजीकृत प्रदाताओं की खोज कर सकते/सकती हैं।

## NDIA-प्रबंधित

यदि आपकी योजना का प्रबंध NDIA द्वारा किया जाता है (कभी-कभी इसे संस्था-प्रबंधित भी कहा जाता है), तो आप NDIS के अलग-अलग पंजीकृत प्रदाताओं में से चयन करने में सक्षम होंगे/होंगी। आपके प्रदाता आपकी फंडिंग से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान का दावा करते हैं। आप गैर-पंजीकृत प्रदाताओं का प्रयोग नहीं कर सकते/सकती हैं। आप myplace पोर्टल पर यह देख सकते/सकती हैं कि आपका प्रदाता NDIS फंडिंग से क्या दावे कर रहा है और आप अपने बजट पर नज़र रख सकते/सकती हैं।

“

मैं अब वैसे चिंता नहीं करती हूँ जैसे मैं पहले किया करती थी; NDIS ने मेरी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है।”

स्टेफ़नी, सेंडी की बहन



नीचे दी गई तालिका योजना प्रबंधन के विकल्पों के बीच अंतरों को दर्शाती है:

मैं निम्नलिखित कर सकता/सकती हूँ ...	स्व-प्रबंधित	योजना-प्रबंधित	NDIA-प्रबंधित
मेरे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रदाताओं का चयन करना और उनपर नियंत्रण रखना	✓	✓	✓
NDIS पंजीकृत प्रदाताओं का प्रयोग करना	✓	✓	✓
गैर-पंजीकृत प्रदाताओं का प्रयोग करना	✓	✓ (परंतु आपकी योजना का प्रबंधक एक पंजीकृत प्रदाता होना चाहिए)	यदि आपकी योजना NDIA-प्रबंधित है, तो यह ज़रूरी है कि आप पंजीकृत प्रदाताओं का प्रयोग करें।
NDIS कीमत संदर्शिका में दी गई कीमत से कम भुगतान करने के लिए बातचीत करना	✓	✓	✓
NDIS कीमत संदर्शिका में दी गई कीमत से अधिक भुगतान करना	✓	योजना प्रबंधक का प्रयोग करके प्रतिभागी को समर्थन प्रदान करने वाले प्रदाता NDIS कीमत संदर्शिका में दी गई कीमत से अधिक भुगतान नहीं ले सकते हैं।	यदि किसी प्रतिभागी की योजना का प्रबंध NDIA द्वारा किया जाता है, तो ऐसे प्रतिभागी को समर्थन प्रदान करने वाले प्रदाता NDIS कीमत संदर्शिका में दी गई कीमत से अधिक भुगतान नहीं ले सकते हैं।
अपनी योजना के अनुसार किफायती निर्णय लेना	✓	✓	✓
अपने बजट पर नज़र रखने के लिए myplace पोर्टल पर अपनी योजना देखना	✓	✓	✓
अपने खर्च का लेखा-जोखा और रिकॉर्ड का प्रबंध करना	✓	आपकी योजना का प्रबंधक आपके लिए यह करेगा।	NDIA आपके लिए यह करेगा।

योजना प्रबंधन के विकल्पों और अपने लिए सबसे अच्छे विकल्पों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अपने ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक से बात करें।

## अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

क्या आपके जीवन के ऐसे कोई अन्य पहलू हैं जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहते/चाहती हैं? क्या वर्तमान में आपको मिलने वाले ऐसे कोई समर्थन हैं जिन्हें आप जारी रखना चाहेंगे/चाहेंगी, क्या आपकी कोई सुरक्षा-संबंधी चिंताएँ हैं या क्या आप कोई अन्य सवाल पूछना चाहते/चाहती हैं?

## जांच-सूची

क्या आपने अपने लिए ज़रूरी सभी काम कर लिए हैं?

- इस पुस्तिका को पूरा भर लिया है
- आप जो सवाल पूछना चाहते/चाहती हैं, उन्हें लिख लिया है
- इस बारे में निर्णय ले लिया है कि आप अपनी नियोजन मुलाकात में अपने साथ किसे लाना चाहते/चाहती हैं
- ऐसी कोई अन्य जानकारी या रिपोर्टें इकट्ठा कर ली हैं जो आपकी समझ के अनुसार आपकी विकलांगता और व्यक्तिगत परिस्थितियों के प्रभाव को समझने के लिए NDIS के लिए सहायक होंगी

यदि आपने उपरोक्त सभी काम पूरे कर लिए हैं, तो अब आप अपनी नियोजन मुलाकात के लिए तैयार हैं।

आपका ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक इस मुलाकात का आयोजन करने के लिए आपके लिए उचित समय की व्यवस्था करने के लिए आपसे संपर्क करेगा। आप अगले पृष्ठ पर मुलाकात के विवरण रिकॉर्ड कर सकते/सकती हैं।

## आपकी नियोजन मुलाकात

दिनांक:
समय:
स्थान:
आप अपने साथ किसे लाएँगे/लाएँगी:

## आपको अपनी नियोजन मुलाकात में अपने साथ क्या लाना चाहिए?

यदि संभव हो तो कृपया अपने साथ निम्नलिखित लाएँ:

- यह पुस्तिका
- आपके बैंक एकाउंट विवरण (यदि आप अपनी संपूर्ण या आंशिक NDIS फंडिंग को स्व-प्रबंधित करने के बारे में विचार कर रहे/रही हैं)
- आपका myGov लॉग-इन और पासवर्ड विवरण (यदि आपको इसमें सहायता चाहिए, तो अपने ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक के साथ बात करें)।

आप अपनी मुलाकात में अपने साथ परिवार के किसी सदस्य, मित्र, पक्षसमर्थक या किसी अन्य व्यक्ति को ला सकते/सकती हैं। यदि आप अपने साथ भाग लेने के लिए किसी पक्षसमर्थक व्यक्ति की व्यवस्था करने में मदद चाहते/चाहती हैं, तो अपने ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक से संपर्क करें।

## आपके प्रश्न

प्रश्न	उत्तर

# अनुमोदित NDIS योजना प्राप्त करना

आप अपनी NDIS योजना तैयार करने के लिए एक ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक के साथ काम कर सकते/सकती हैं, परंतु सभी प्रतिभागी योजनाएँ NDIA द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। जब आपकी योजना को अनुमोदन दे दिया जाए, तो आपको वैयक्तिक तौर पर, डाक से, और myplace पोर्टल के द्वारा यह योजना प्राप्त होगी।

आपका ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक आपको अगले कदमों के बारे में जानकारी देगा और यह बताएगा कि आपकी अनुमोदित योजना मिलने में कितना समय लगेगा।

अपनी नियोजन चर्चा में आप अपनी योजना की प्रिंट की गई प्रति अलग-अलग सुलभ फॉर्मों में प्राप्त करने का निवेदन कर सकते/सकती हैं, जैसे ब्रैल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट (CD पर), बड़ा प्रिंट या ऑडियो (CD पर), या आपकी पसंदीदा भाषा में अनुदित।

## यदि आप अपनी योजना में शामिल बातों से असहमत हों, तो क्या होता है?

आपके पास NDIA द्वारा अपनी योजना की **आंतरिक समीक्षा** कराए जाने के लिए निवेदन करने का अधिकार है। आपका ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक आपको समझाएगा कि यह कैसे किया जा सकता है, और वह इस प्रक्रिया में आपकी मदद कर सकने वाले पक्षसमर्थक व्यक्तियों से आपका संपर्क स्थापित कर सकता है।

निर्णय की आंतरिक समीक्षा के लिए निवेदन NDIA के निर्णय का नोटिस मिलने के तीन महीनों के अंदर किया जाना चाहिए।

यदि आप आंतरिक समीक्षा के परिणाम से खुश नहीं हैं, तो आप Administrative Appeals Tribunal (प्रशासनीय अपील ट्रिब्यूनल - AAT) द्वारा समीक्षा कराने के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं, जो NDIA से बाहर होती है। आप NDIA के निर्णय की NDIA द्वारा आंतरिक समीक्षा किए जाने से पहले AAT द्वारा इसकी समीक्षा करने के लिए निवेदन नहीं कर सकते/सकती हैं।

### NDIS के प्रमुख शब्द:

#### आंतरिक समीक्षा

यह NDIA के निर्णय की एक समीक्षा होती है।

आंतरिक समीक्षा में काम करने वाला NDIA कर्मी पहले लिए गए निर्णय में शामिल नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के एक हिस्से के तौर पर वह आपसे सीधे बात करना चाहे।

“

जब सैम NDIS में एक प्रतिभागी बन गया, तो हमने विकल्पों की खोज करना शुरू किया और इसके फलस्वरूप उसे Proloquo2Go एप्प मिली। यह एप्प सैम को अपनी रुचियाँ और अपनी पसंद की बातें बताने की क्षमता दे सकती है। सैम का अंतिम लक्ष्य वैतनिक रोज़गार प्राप्त करना है, और उसने इसमें अपनी रुचि दिखाई है।”

पीटर, सैम का स्पीच पैथॉलोजिस्ट



## आपके ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक के संपर्क विवरण

नाम:

फोन नम्बर:

ई-मेल पता:

कार्यालय का पता या स्थान:

## कार्यवाही, टिप्पणियाँ और विचार

इस अनुभाग का प्रयोग अपनी नियोजन मुलाकात में सामने आने वाली किसी कार्यवाही, टिप्पणी या विचार लिखने के लिए करें। इसमें संपर्क करने के लिए सामुदायिक या अन्य सरकारी सेवाओं की सूची, प्रदाताओं के साथ किए जाने वाले सेवा अनुबंध, आपके क्षेत्र में या ऑनलाइन मुलाकात करने वाले साथी समर्थन समूह, अगले कदम, या आपकी नियोजन मुलाकात में मिली कोई अन्य उपयोगी जानकारी शामिल हो सकती है।




1 2 3

## आगे क्या होगा?



### आपके पास एक अनुमोदित NDIS योजना है।

- जब आपके पास एक अनुमोदित NDIS योजना होती है, तो आपके लिए अलग-अलग बजटों के बारे में समझना तथा अपनी योजना का प्रयोग शुरू करने में आपकी सहायता करने वाले व्यक्ति और आपकी योजना के प्रबंधन के तरीके के बारे में समझना ज़रूरी होता है।



### आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करने वाले समर्थनों और सेवाओं का प्रयोग करना शुरू करें।

- जब आप अपनी योजना को समझ लें, तब आपका अगला कदम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इन लक्ष्यों की ओर काम शुरू करना है।
- अपनी योजना शुरू करने के लिए आपको समर्थन दिया जाएगा। आपका ECEI समन्वयक, LAC या NDIA सही प्रदाताओं का चयन करने में आपकी मदद कर सकता है, और यदि सब-कुछ ठीक से न चल रहा हो तो वह आपकी मदद कर सकता है।
- आपका ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक समुदाय और अन्य सरकारी सेवाओं तथा साथी समर्थन समूहों से जुड़ने में आपकी मदद कर सकता है।



### आपकी योजना की समाप्ति के समय आपका ECEI समन्वयक, LAC या NDIA नियोजक आपकी योजना व परिणामों की समीक्षा करने, और एक नई NDIS योजना बनाने के लिए आपके साथ काम करेगा।

- यह अवसर अपनी योजना के बारे में सोच-विचार करने और अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाने का एक अवसर है! अधिकांश लोगों के लिए यह 12 महीनों की अवधि के बाद होगा।

अब आप इस पुस्तिका को देखने के लिए तैयार हैं:  
**पुस्तिका 3: अपनी योजना का प्रयोग करना**

इस पुस्तिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:

[www.ndis.gov.au](http://www.ndis.gov.au)

नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस एजेंसी

☎ टेलीफोन 1800 800 110

f Facebook/NDISAus पर हमें खोजें

🐦 Twitter @NDIS पर हमें फॉलो करें

जिन लोगों को अंग्रेज़ी में मदद की ज़रूरत है

☎ TIS: 131 450

☎ सुनने या बोलने की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए

☎ TTY: 1800 555 677

☎ स्पीक एंड लिसन: 1800 555 727

☎ इंटरनेट रिले: नेशनल रिले सेवा  
[www.relayservice.gov.au](http://www.relayservice.gov.au)